प्रपत्र–3

परियोजना का नामः–जनपद नैनीताल में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी का विस्तारीकरण करते हुए "राज्य कैंसर संस्थान" एवं "संक्रमण रोग चिकित्सालय" की स्थापना किये जाने हेतु 4.25 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/विभागाध्यक्ष के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाय।	संलग्न है।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी
प्राचार्य
राजकीय मेडिकल कॉलेज
हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड

24/7/2020

संख्या-779/XXVIII(5)/2020-13(मे0का0)/2020

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
निदेशालय चन्दर नगर, देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-5 देहरादून : दिनांक 24 जुलाई, 2020

विषयः- केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के अन्तर्गत स्टेट कैंसर संस्थान की स्थापना हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के अन्तर्गत स्टेट कैंसर संस्थान की स्थापना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की शेष अवधि हेतु कुल रू0 50.00 करोड (रू0 पचास करोड मात्र) की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

i. केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के अन्तर्गत स्टेट कैंसर संस्थान की स्थापना के फलस्वरूप उक्त धनराशि की स्वीकृति अत्यन्त अपरिहार्य परिस्थितियों में की जा रही है।

ii. उक्त योजना से संबंधित में प्रस्ताव/आगणन उपलब्ध होने के फलस्वरूप निर्धारित प्रकिया पूर्ण कर यथा टी0ए0सी/ई0एफ0सी0 की संस्तुति उपरान्त ही वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

iii. स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय नहीं उन्ही मदों में किया जायेगा, जिन मदों के लिए धनराशि स्वीकृति की जा रही है।

iv. स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

v. मासिक व्यय विवरण प्रत्येक माह की 08 तारीख तक चिकित्सा शिक्षा विभाग, वित्त अनुभाग-3 को निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-8 पर उपलब्ध करा दिया जाय।

vi. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।

vii. व्यय किये जाने से पूर्व यथा आवश्यक उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह

D:\AK\Draft\Budget.doc

प्राचार्य
राजकीय मेडिकल कॉलेज
हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड

खण्ड–5 भाग–1 (लेखानियम), आय–व्ययक संबंधित नियम (बजट मैनुअल) अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से पालन किया जाय।

viii. स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति आगामी आय–व्ययक में करा ली जाय।

ix. चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के मूल आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या–292/9(150)/XXVII(1)2020, दिनांक– 31 मार्च, 2020 में दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय प्रथमतः 8000–आकस्मिकता निधि–राज्य आकास्मिकता निधि –लेखा –201–समेकित निधि का विनियोजन एवं अन्ततः स्टेट कैंसर की स्थापना हेतु अनुदान संख्या– 12 के लेखाशीर्षक–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पुंजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–10–राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी के अन्तर्गत स्टेट कैंसर की स्थापना के नामे डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन के अशा0 सं0–73/XXVII(3)/2020, दिनांक–15 जुलाई, 2020 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

4– उक्त स्वीकृति की कम्प्यूटर एलोटमेन्ट आई0डी0 संलग्न है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

वित्त विभाग

संख्या–11/XXVII(1)/2020/रा0आ0नि0/2020 दिनांकः– 14 जुलाई, 2020

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा), उत्तराखण्ड, देहरादून को एक अतिरिक्त प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(भूपेश चन्द्र तिवारी)
अपर सचिव।

संख्या 779/XXVIII(5)/2020-13(मे0का0)/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
3. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी।
4. निदेशक, स्टेट कैंसर संस्थान, राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी।
5. संबंधित कोषाधिकारी।
6. बजट प्रकोष्ट, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–3/1/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव।

प्राचार्य
राजकीय मेडिकल कॉलेज
हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड

Scanned by CamScanner